प्रेषक

निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा ।

सेवा में,

सभी प्रबन्धक निदेशक,
निगम/बोर्ड हरियाणा राज्य में ।

क्रमांक: ई. सी.–1/987/30602–43
दिनांक : 18–11–87

विषय :–– अनुसूचित जातियां/पिछड़े वर्ग/भूतपूर्व सैनिक तथा अपंग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के बारे में रोस्टर रजिस्टर तैयार करना ।

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 22/54/80–3जी.एस.–III, दिनांक 5–2–83 (प्रति सलंग्न) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा उन्होंने सभी निगमों/बोर्डों को यह हिदायतें जारी की थी कि वह सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार रोस्टर रजिस्टर तुरन्त तैयार करें और इस विभाग में स्थापित सैल द्वारा निरीक्षण किए जाने पर यह रजिस्टर एवं अपेक्षित कार्यवाई उन्हें प्रस्तुत करें । इस सम्बंध में विभिन्न निगमों/बोर्डों में या तो यह रोस्टर रजिस्टर अभी तक आरम्भ ही नहीं किए गए है और कुछ निगमों/बोर्डों में निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार रोस्टर नहीं बनाए गए हैं । इस सम्बंध में आपको रोस्टर रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रोफार्मा सलंग्न करके अनुरोध किया जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 38/20/78–2जी. एस–I दिनांक 9–2–79 तथा पत्र क्रमांक 24/17/80–3जी. एस.–III, 16–12–80 द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार (प्रति सलंग्न) रोस्टर रजिस्टर तैयार करें और इस विभाग की चैकिंग टीम द्वारा रजिस्टर मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करें ।

2. इस सम्बंध में अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यह हिदायतें जारी करें कि वह भी निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार अपने रोस्टर तैयार करें जो इस विभाग द्वारा चैक किये जायेंगे ।

हस्ता/–
निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा ।